न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/60/2020	27-11-2020	06-09-2022

01– श्रीमती सोनम सिंह पत्नी नागेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 35 सोनावा अलवर।

–: अपीलान्ट

बनाम

01– बीना यादव पुत्री मोहन लाल जाति यादव निवासी स्कीम न0 8 निचला सोनावा सैन्ट्रल अकेडमी स्कूल के सामने अलवर।

02– बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर शहर

–: रेस्पोन्डस

अपील विरूद्व चयन आदेश क्रमांक 528 दिनांक 30.09.2020 बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर शहर जिसके द्वारा वार्ड संख्या 30 में आंगनवाडी कार्यकर्ता का चयन गलत प्रकार से किया गया है, को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

01–श्री गणपत सिंह नरूका – वकील अपीलाण्ट्स

02– श्री उदय शंकर शर्मा – रेस्पोडेन्टस संख्या 1

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील बाल विकास अधिकारी अलवर शहर के आदेश क्रमांक 528 दिनांक 30.09.2020 जिसके द्वारा वार्ड संख्या 30 में आंगनवाडी कार्यकर्ता का चयन गलत प्रकार से किया गया है, को निरस्त किये जाने बाबत पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलाण्ट्स उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि संख्या 30 में आंगनबाडी केन्द्र सोनावा दक्षिण शहर अलवर के लिए 13 आवेदन विभाग द्वारा प्राप्त किये गये थे, जिनमें 6 आवेदको ने 2 अंक प्राप्त किये अपीलान्ट द्वारा 6 अंक प्राप्त किये गये व रेस्पोडेन्ट बीना देवी द्वारा 4 अंक प्राप्त किये गये। जिसमें अपीलान्ट का आंगनबाडी पद के लिए चयन किया जाना न्याय हित में आवश्यक था, मगर पक्षपात कर रेस्पोडेण्ट बीना यादव का चयन किया गया है, जो कतई गलत है, व नियमों के विरूद्व है, अपीलान्ट बीना देवी रेस्पोडेन्ट से अधिक योग्यता रखती थी, रेस्पोडेन्ट के द्वारा चार अंक प्राप्त किये गये जबकि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

सीनियरटी में अपीलान्ट द्वारा पांच अंक प्राप्त किये जैसा कि पत्र कंमाक 734 दिनाक 20.11.2020 से जाहिर है। अपीलान्ट मास्टर ऑफ साईन्स इन कम्प्यूटर एम.एस.सी (सी.एस) की छात्रा है, तथा रेस्पोडेन्ट से अधिक योग्यता रखती है। मगर चयन करते समय दस्तावेजों को नजर अन्दाज कर दिया और पक्षपात कर रेस्पोडेन्ट का चयन किया गया है। जो न्याय के सिद्वान्तो के एकदम विपरीत है, उपनिदेशक की ससुराल अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मौहल्ले में ही है। जिससे उप निदेशक ने पक्षपात कर रेस्पोडेन्ट का चयन किया है। अपीलान्ट ने आंगनवाडी कार्यकर्ता पद हेतु विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति वर्ष 2018 में आवेदन किया था, विभाग के परिपत्रों व दिशा–निर्देशो में विज्ञप्ति जारी होने के बाद चयन समिति जिला उपनिदेशक उत्तर दायित्व है, कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया 75 दिन में पूर्ण की जावें, परन्तु बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर द्वारा विभाग के परिपत्रों व दिशा–निर्देशों की पालना न करते हुये अवहेलना करते हुऐ 2 वर्ष बाद चयन प्रक्रिया अपनाई गयी है, अपीलाण्ट को बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर शहर के आदेश दिनाक 30.09.2020 की जानकारी अपीलाण्ट के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनाक 20.11.2020 के पत्र के द्वारा प्राप्त हुई जो आदेश दिनांक 23.11.2020 को अपीलाण्ट को प्राप्त हुआ इससे पूर्व अपीलाण्ट को उक्त आदेश की जानकारी नही थी। दिनांक 30.09.2020 से दिनांक 23.11.2020 का समय जो निकला है, व सूचना के अभाव में कन्डोन किये जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का पेश कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कि जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय 30.09.2020 को अपास्त किया जावे। वकील रेस्पोडेण्ट वक्त बहस उपस्थित नही हुये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2020 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 27.11.2020 को पेश की गयी है, जो लगभग दो माह विलम्ब से पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आंगनवाडी केन्द्र सोनावा दक्षिण शहर अलवर के लिए 13 आवेदन विभाग द्वारा प्राप्त किये गये थे, जिनमें 5 आवेदको ने 2 अंक प्राप्त किये अपीलान्ट द्वारा 5 अंक प्राप्त किये गये व रेस्पोडेन्ट बीना देवी द्वारा 4 अंक प्राप्त किये गये। अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट से अधिक योग्यता रखती थी, रेस्पोडेन्ट के द्वारा चार अंक प्राप्त किये गये जबकि सीनियरटी में अपीलान्ट द्वारा पांच अंक प्राप्त किये है। अपीलान्ट द्वारा मास्टर ऑफ साईन्स इन कम्प्यूटर एम.एस.सी (सी.एस) की हुई है, तथा रेस्पोडेन्ट से अधिक योग्यता रखती है। मगर चयन करते समय दस्तावेजों को नजर अन्दाज कर दिया और विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट का चयन किया गया है, तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। चयन रजिस्टर 2018 के अनुसार विभाग को ऑगन बाडी केन्द्र दक्षिण सोनावा (सामान्य) वार्ड संख्या 30 हेतु कुल 13 आवेदन प्राप्त हुए है, विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच की जाकर आवेदको को अंक प्रदान किये है। जिनके आधार पर प्रथम वरीयता में श्रीमती बीना यादव का चयन किया गया है, जिनको 4 अंक प्राप्त हुए है, द्वितीय वरीयता में श्रीमति संगीता का चयन किया गया है, जिनको 3 अंक प्राप्त हुए है, एवं तृतीय वरीयता में श्रीमति साक्षी का चयन किया गया है, जिनको 2 अंक प्राप्त हुऐ है। जबकि अपीलान्ट को सबसे ज्यादा 5 अंक प्राप्त किऐ है, जिनको वरीयता सूची में शामिल ही नही किया गया है, जो विधि विरूद्व है, चयन रजिस्टर 2018 के निर्धारित प्रपत्र के विशेष विवरण के कॉलम में वार्ड पंचायत की अभिशंषा व राशन कार्ड का संलग्न नही होने का आक्षेप अंकित किया हुआ

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

है, वह भी सही नही है। क्योंकि अपीलान्ट द्वारा पेश आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदन पत्र के साथ वार्ड पार्षद की अभिशंषा शामिल है, तथा आवेदन पत्र के बिन्दू संख्या 15 (3) में मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/आधार कार्ड अपेक्षित है, जिसकी ऐवज में अपीलान्ट द्वारा अपना आधार कार्ड पेश किया गया है, जो आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त तथ्यो के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर चयन आदेश कंमाक 528 दिनांक 30.09.2020 बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर शहर जिसके द्वारा वार्ड संख्या 30 में आंगनवाडी कार्यकर्ता का चयन किया गया है, को निरस्त किया जाता है, और आदेशित किया जाता है, कि इस हेतु अपीलान्ट श्रीमती सोनम सिंह पत्नी नागेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 30 सोनावा अलवर का चयन किये जाने हेतु विधिवत कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणितप्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी अलवर शहर को मूल रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ़्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

06-09-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)